न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./204/2012/बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

1. चिमाराम पुत्र लिछमाराम का.गु. बनाम 1बगताराम पुत्र हिमताराम वगै.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थिति

1. वकील श्री अम्बालाल जोशी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री चेतनराम सारण रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–19.09.2022

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का ज्ञान अपीलकर्ता को इससे पूर्व कभी नहीं हुआ। क्योंकि उतरदाता ने षडयंत्र पूर्वक मिलीभगत कर हस्तगत वाद का निर्णय करवाया है और इस विधि विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री की आड़ में हाल ही में करीबन 15 रोज पूर्व अपीलार्थी को मौके पर सुड़ करने से रोका गया और बेदखली की धमकीया दी तब अपीलार्थी द्वारा हल्का पटवारी से सम्पर्क कर जानकारी ली एवं साथ ही साथ वकील के माध्यम से उपरोक्त वाद की पत्रावली की समस्त प्रतिलिपिया प्राप्त होने पर दिनांक 04.07.2012 को उक्त निर्णय एवं डिक्री की निश्चित जानकारी प्राप्त हुई है। वादीगण ने सर्वथा झूठे एवं बेबुनियाद आधारों पर हस्तगत वाद का निर्णय करवाया है यहां तक की अपीलार्थी कभी भी न तो शिव न्यायालय में गया है और न ही वकील किया, न ही कोई इकबाली जबावदावा इत्यादि दिया है। अपीलार्थी बिल्कुल अनपढ कृषक है जो केवल अंगुठा करता है जबकि हस्तगत वाद में अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से हस्ताक्षर कर वकालतनामा व इकबाली जबावदावा दिलवाया गया है जो कि पूर्ण रूप से फर्जी है ऐसी दशा में विलम्ब को क्षमा किया जाना सर्वथा न्याय संगत है, अन्यथा अपीलार्थी के साथ भारी अन्याय होगा। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील पेश करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण को तकनीकी बिंदुओं पर निस्तारण करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अपील के तथ्योनुसार एवं प्रकरण के तथ्योनुसार नरमाई का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रूख रखते हुए। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2012(1) Page 668
RRT 2009(1) Page 467
RRD 2017 Page 382
RRT 2016(2) Page 1378
RRT 2012(1) Page 666
RRT 2012(1) Page 137
RRT 2011(2) Page 829
RRD 2004 Page 97

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलकर्ता ने अपीलाधीन निर्णय 11.10.2010 एवं डिक्री दिनांक 15.03.2011 के विरूद्ध दिनांक 01.08.2012 को यानि तकरीबन 01 वर्ष 04 माह के बाद बेबुनियाद आधारों पर यह अपील पेश की है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटस को वास्तविक जानकारी दिनांक 25.07.2006 को हो गई थी, क्योंकि उसी दिन अपीलांटस ने अपना जवावदावा पेश किया एवं अपनी हाजरी स्वरूप वाद की आदेशिका में अपने हस्ताक्षर किये, इस प्रकार अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.07.2006, 18.08.200, 29.12.2006 तीन बार न्यायालय हाजा में उपस्थित हुआ एवं इस वाद की पूरी प्रक्रिया की जानकारी अपीलांटस को रही है। अपीलकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलकर्ता ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन ने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेष किये:–

RRT 2009-10(Supp.) Page 535

RRT 2012(2) Page 1177

RRT 2021(1) Page 336

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2010 को हस्तगत प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण द्वारा पेश धारा 05 नियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। रेस्पोंडेंटस अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होते है। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 01 वर्ष 04 माह की देरी के बाद पेश की गई। अतः अपील को नियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। अतः अपील अपीलांट नियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 19.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर